भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 669
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

राज्य महिला आयोगों की स्थापना

669. श्री हसनैन मसूदी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़-दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में राज्य महिला आयोग (एससीडब्ल्यू) नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित ऐसे राज्यों में राज्य महिला आयोग की स्थापना करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) और (ख): राज्य महिला आयोगों (एससीडब्ल्यू) का गठन संबंधित राज्य के विधान के अंतर्गत किया जाता है। राज्य महिला आयोगों के गठन में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की कोई भूमिका नहीं रहती है। केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर महिला आयोग का गठन दिनांक 08.02.2022 के आदेश सं.17-जेके(एसडब्ल्यूडी), 2022 के अंतर्गत किया गया है।

*****